प्रारूप-2

ग्राम : फोन:
ई-मेल - फैक्स:

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर

संख्याक: एच0 सी0-- मान्यता / 584 /2013- 14 तारीख: 17 जुलाई 2013

प्रबंधक,

सूर्य देव इंटरनेशनल स्कूल,

जौली रोड भंड़ूर वि0ख0 मोरना, मुजफ्फरनगर

विषय :- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001 के नियम 15 के उपनियम 4 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदयां,

आपके तारीख 15.10.2011 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं, मंडलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29.06. 2013 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में श्री रणजीत सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्रांक/ जांच/ एम0डी0एम0-215/ 2013- 14 दिनांक 15.07.2013 द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर सूर्य देव इंटरनेशनल स्कूल भंडूर वि0ख0 मोरना मुजफ्फरनगर को तारीख 29.06. 2013 से तारीख 28.06.2016 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल तक की (अंग्रेजी माध्यम) कक्षाओं के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/ संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2- विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3- विद्यालय कक्षा 1 में (यां यथास्थित, नर्सरी कक्षा में) बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरे हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4- पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5- सोसायटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीन प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।

6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसी विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्ययन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निशिता नि:शक्त ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताओं के साथ की जाती है परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	92257 वर्ग फीट
कुल निर्मित क्षेत्रफल	35000 वर्ग फीट
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	50000 वर्ग फीट
कक्षाओं की संख्या प्रधानाध्यापक -सह -कार्यालय-सह-भंडार के लिए कक्ष	है ।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है ।
पेयजल सुविधा	है ।
मिड डे मील पकाने के रसोई	है।
बाधा रहित पहुंच	है ।
अध्यापन पठन सामग्री/ कीड़ा खेलकूद उपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता	है।

9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या M-11/ 2013 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(कौस्तुभ कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

भवदीय

(कौस्तुभ कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- शिक्षा निदेशक (बेसिक) निशात गंज लखनऊ।
2- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) इलाहाबाद।
3- सचिव,उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4- मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर/ मेरठ मंडल।
5- संबंधित खंड /नगर शिक्षा अधिकारी जनपद मुजफ्फरनगर।
6- कार्यालय पत्रावली।

(कौस्तुभ कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर